:: कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला राजगढ (ब्यावरा) म.प्र. ::

संयुक्त कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक–123 (e-mail : foodoffraj@nic.in)

क्रमांक / 170 / उपार्जन / 2020 राजगढ, दिनांक 29/ 01 / 2020

प्रति,

1. महाप्रबंधक,
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
   राजगढ / ब्यावरा / सारंगपुर / नरसिंहगढ / खिलचीपुर–जीरापुर जिला राजगढ
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत, राजगढ / ब्यावरा / सारंगपुर / नरसिंहगढ / खिलचीपुर / जीरापुर जिला राजगढ

विषयः रबी विपणन वर्ष 2020–21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन / किसान पंजीयन के संबंध में ।

संदर्भः म.प्र. शासन भोपाल के क्रमांक एफ–5–1(1–1क) / 2020 / 29–1 भोपाल दिनांक 18.01.2020

–00000–

विषयान्तर्गत लेख है कि विगत वर्ष अनुसार वर्ष 2020–21 में गेहूं उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन दिनांक 01 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 तक पंजीयन केन्द्रों पर प्रातः 10 से 06 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में किया जाना है । एफ.ए.क्यू. ससी **(FAQ)** गुणवत्ता का गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925/– रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है । पंजीयन हेतु नियमानुसार निर्देशों का पालन एवं प्रचार–प्रसार कर किसानों की सुविधा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

1. विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को ई–गिरदावरी के सत्यापित भू–अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया जाएगा । किसान की भूमि एवं फसल के बोए गए रकबे की जानकारी ई–निगरानी डाटाबेस से ली जाएगी, जिससे पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

2. संयुक्त खातेदार कृषक के अनु रकबे अनुसार पृथक–पृथक पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

3. पंजीयन गिरदावरी के आधार पर होगा, इसलिये कृषक को जानकारी दी जावे कि अपने रिकार्ड की पुष्टि ई–गिरदावरी से करले, यदि रिकार्ड से मिलान नहीं होता है तो दावा आपत्ति की निर्धारित समय–सीमा में रिकार्ड सही कराना अनिवार्य होगा । दावा आपत्ति का निराकरण होने पर ही संशोधित जानकारी का पंजीयन किया जा सकेगा ।

4. कृषको की सुविधा हेतु किसान पंजीयन एम.पी. किसान एप, ई–उपार्जन मोबाईल एप, पब्लिक डोमेन में ई–उपार्जन पोर्टल एवं विगत वर्ष रबी उपार्जन करने वाली पात्र संस्थाओं के मुख्यालय पर किया जा सकेगा । इस हेतु किसानों को स्वपंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जावे ।

5. जिले के समस्त कृषक अपना पंजीयन निर्धारित समय–सीमा में करा लें, इस हेतु ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं एवं एसएमएस के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का प्रचार–प्रसार किया जावे ।

6. सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन निर्धारित पंजीयन केन्द्र से ही किया जा सकेगा ।

7. पंजीयन हेतु कृषक को निम्न जानकारी से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा :–

1. पंजीयन के समय कृषक का नाम, समग्र सदस्य आईडी नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी **(IFSC)**, मोबाईल नंबर तथा उपज विक्रय हेतु तिथियों के 03 विकल्प देना होंगे ।
2. उपज विक्रय के समय कृषक को आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, समग्र सदस्य आईडी अथवा पेन कार्ड, वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, सिकमी किसानों के सिकमी अनुबंध की प्रति, किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिंट आउट संबंधित उपार्जन केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है । जिससे पंजीयन से मिलान कर सभी प्रविष्टि सही पाये जाने पर उपज खरीदी की प्रविष्टि की जावेगी ।

8. विगत वर्ष के पंजीकृत कृषकों का मूलभूत डाटा पूर्व से ही प्रदर्शित होगा जिसमें परिवर्तन एवं संशोधन की कार्यवाही ओटीपी **(OTP)** आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जावेगा ।

9. निर्धारित तिथि से पूर्व समस्त पंजीयन केन्द्रों पर कृषकों की सुविधा हेतु सूचना बोर्ड, फ्लेक्स, बैठने की व्यवस्था, पीने हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़ म.प्र.

पृ. क्रमांक / 171 / उपार्जन / 2020 राजगढ़, दिनांक 29 / 01 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र. भोपाल ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ ।
3. अपर कलेक्टर, नोडल अधिकारी, जिला राजगढ ।
4. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ....
5. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति समस्त जिला राजगढ ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ / ब्यावरा / सारंगपुर / नरसिंहगढ / खिलचीपुर–जीरापुर ।
7. तहसीलदार, राजगढ / ब्यावरा / सारंगपुर / नरसिंहगढ / खिलचीपुर / जीरापुर ।
8. सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, राजगढ / ब्यावरा / सारंगपुर / नरसिंहगढ / खिलचीपुर / जीरापुर ।
9. समिति प्रबंधक समस्त, पंजीयन केन्द्र सेवा सहकारी समिति ।
10. समिति प्रबंधक समस्त, पंजीयन केन्द्र विपणन सहकारी समिति ।
.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला जन संपर्क अधिकारी, राजगढ की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़ म.प्र.